न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 78/2021

1 बृजमोहन विजयवर्गीय उम्र 68 साल पुत्र श्री हजारीलाल विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी बागोरा हाल 180 ए.एस.एन.रोज. रोड़ बहेला कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।

अपीलांट्स

बनाम

1 महावीर प्रसाद उम्र 45 साल पुत्र नाथू
2 विमला देवी उम्र 40 साल पुत्री नाथू
3 सुनीता उम्र 37 साल पुत्री नाथू
4 गुड्डी उम्र 35 साल पुत्री नाथू
5 मुन्नी उम्र 33 साल पुत्री नाथू
समस्त जाति नाई निवासीयान बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
6 सावरा उम्र 70 साल पुत्र गणपत (मृतक)
6/1 श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी सांवरा जाति नाई निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी 39 एल एन पी तहसील पदमपुरा जिला गंगानगर।
6/2 अशोक कुमार पुत्र सांवरा जाति नाई निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी 39 एल एन पी तहसील पदमपुरा जिला गंगानगर।
6/3 धनराज पुत्र सांवरा जाति नाई निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी 39 एल एन पी तहसील पदमपुरा जिला गंगानगर।
6/4 कालूराम पुत्र सांवरा जाति नाई निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी 39 एल एन पी तहसील पदमपुरा जिला गंगानगर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

6/5 मंजू देवी पुत्री सांवरा जाति नाई निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी 39 एल एन पी तहसील पदमपुरा जिला गंगानगर।
6/6 विमला देवी पुत्री सांवरा जाति नाई निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी 39 एल एन पी तहसील पदमपुरा जिला गंगानगर।
6/7 बिन्दु देवी पुत्री सांवरा जाति नाई निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी 39 एल एन पी तहसील पदमपुरा जिला गंगानगर।
6/8 उषा देवी पुत्री सांवरा जाति नाई निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू हाल निवासी 39 एल एन पी तहसील पदमपुरा जिला गंगानगर।
7 रामकुमार उम्र 67 साल पुत्र गणपत जाति नाई निवासीयान बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.। (मृतक के बजाय)
7/1 अन्जू पत्नी रामकुमार
7/2 संजय पुत्र रामकुवार
7/3 रोहित पुत्र रामकुवार
7/4 गुड्डी पुत्री रामकुवार
7/5 सुमन पुत्री रामकुवार
7/6 बिटटू उर्फ किट्टू पुत्री रामकुवार
7/7 मोनिका पुत्री रामकुवांर
जाति नाई निवासीयान बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
8 कैलाश उम्र 52 साल पुत्र बनवारी
9 राजू उम्र 40 साल पुत्र बनवारी
10 कृष्ण उम्र 27 साल पुत्र बनवारी
11 नर्बदा उम्र 70 साल पत्नी बनवारी
12 सीता उम्र 50 साल पुत्री बनवारी
13 मनीषा नाबालिक उम्र 15 साल पुत्री पारली जरिये संरक्षक नानी नर्बदा पत्नी बनवारी
14 कालू नाबालिग उम्र 11 पुत्र पारली जरिये संरक्षक नानी नर्बदा पत्नी बनवारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

समस्त जाति नाई निवासीयान बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

15 श्रीकिशन विजय वर्गीय उम्र 77 साल पुत्र श्री हजारीलाल विजयवर्गीय जाति महाजन निवासी बागोरा हाल 180 ए एस एन राज रोड बहेला कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

16 राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू दिनांक 14.09.2021 जो वाद उनवानी बृजमोहन बनाम महावीर प्रसाद (आरसीएमएस) नम्बर 2016/00077 मुकदमा नम्बर 57/2016 वाद बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन पर पारित किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कन्हैयालाल महमिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 57/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणार्थ, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 432 नये खसरा नम्बर 1107 वाके ग्राम बागोरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष यह बखूबी सिद्व था कि ग्राम बागोरा के वर्तमान खसरा नम्बर 1107 पुराने खसरा नम्बर 432 एवं अन्य खसरा नम्बरान से बने है, जिन्हें विचारण न्यायालय ने नकल विक्रय पत्र से साबित माना है और बाबा रामदेव प्रचार समिति संस्थापक हजारी लाल विजयवर्गीय द्वारा क्रय किया जाना माना है तथा नामान्तकरण दर्ज होना नहीं पाया विक्रय पत्र के आधार पर यह याचना चाही थी कि बाबा रामदेव प्रचार समिति संस्थापक हजारी लाल विजयवर्गीय खातेदारी घोषित किया जो विचारण न्यायालय के समक्ष बखूबी सिद्व था किन्तु फिर भी विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज करने में कानूनी गलती की है। बाबा रामदेव प्रचार समिति का संस्थापक अपीलान्ट का पिता हजारीलाल था जिसमें उक्त समिति की स्थापना की थी और उक्त समिति को उनकी मृत्यु के बार अपीलान्ट चला रहा है। उक्त भूमि अपीलान्ट के व्यक्तिगत काम नहीं ली जावेगी बल्कि रामदेव प्रचार समिति के ही काम आवेगी किन्तु विचारण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं करके निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट ने बाबा रामदेव प्रचार समिति को ही खातेदार घोषित करने का केस किया था जो विचारण न्यायालय ने बखूबी

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सिद्ध माना है विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने अपने आपको खातेदार घोषित करने की कोई याचना नही चाही थी। बाबा रामदेव प्रचार समिति आज भी कार्यरत है और उसका संस्थापक अपीलान्ट का पिता था उनकी मृत्यु के बाद में अपीलान्ट है और उक्त समिति कार्य कर रही है। किसी भी रेस्पोडेन्ट का किसी भी प्रकार का उक्त वाद को डिक्री नहीं करने हेतु एतराज नहीं था अधिकांश रेस्पोडेन्ट ने वाद को स्वीकार करके डिक्री करने का राजीनामा पेश किया था तथा किसी भी पक्षकार ने वाद को कन्टेस्ट नहीं किया था। किन्तु फिर भी विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय निररस्तनीय है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार की जाती है। तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्रम बागौरा पटवार हल्का बागौरा के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1107 पुराने भूमि खसरा नम्बर 432 एवं अन्य खसरान के संयोजन से बने है। पत्रावली पर मौजूद नकल विक्रय पत्र दिनांक 30.10.1984 के अवलोकन से साबित है कि बागौरा पटवार हल्का बागौरा के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1107 में से 0.7800 हैक्टेयर भूमि को श्री बाबा रामदेव प्रचार समिति संस्थापक हजारीलाल विजयवर्गीय ने क्रय किया था, लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नहीं हो गया। वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 30.10. 1984 के आधार पर घोषणा का अनुतोष चाहा है लेकिन श्री बाबा रामदेव प्रचार समिति बागौरा के वर्तमान में अस्तित्व में होने बाबत कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है और ना ही समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के बाबत कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली पर मौजूद है। प्रस्तुत वाद में वादी ने यह अंकित नहीं किया है कि वादी की श्री बाबा रामदेव प्रचार समिति बागौरा में क्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हैसियत है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वादी उक्त भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)